(b) It is not proposed at present to set up a Wage Board for these workers.

Industrial Tribunal for Manganese Mines

372. **Shri Balkrishna Wasnik:** Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state:

(a) whether there has been a demand for a seat of the Industrial Tribunal either in Jabalpur or Nagpur for industrial disputes of workers in the Manganese mines; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayya): (a) There was a suggestion sometime ago that an Industrial Tribunal should be set up at Nagpur or alternatively arrangements should be made for the existing Tribunals to hear cases at Nagpur.

(b) As the number of disputes was small it was not considered necessary to have a Tribunal located at Nagpur. However, the Central Industrial Tribunal at Bombay had been having sittings at Nagpur from time to time and this practice was being continued. No other action was considered necessary.

12.00 hrs.

RE. CALLING ATTENTION NOTICE

श्री ओंकार लाल बैरवा (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक कालिंग अटेंशन नोटिस दिया था पंडित प्रेमनाथ डोगरा के कमरे में बम विस्फोट के सम्बन्ध में । उसको नामंजूर कर दिया गया । जब हम इधर उधर के विस्फोटों के बारे में यहां पूछते हैं तो उनका जवाब दे दिया जाता है, तब क्या कारण है कि इतने बड़े नेता के कमरे में जो बम विस्फोट हुआ उसकी जांच का आदेश नहीं दिया गया । इस पर विरोध प्रकट करना कहां तक अनुचित बात है ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बै जा

श्री ओंकार लाल बैरवा : इसकी जांच होनी चाहिये ।

श्री बड़े (खारगोन) : चार रोज से कहा जा रहा था कि विचार किया जा रहा है, अंडर कंसिडरेशन है । अब कहा गया कि वह नामंजूर हो गया ।

एक माननीय सदस्य : इसका क्या कारण है ।

अध्यक्ष महोदय : इसके वास्ते एक कारण तो यह हो सकता है कि जब सूचना आई तो सोच विचार कर तय किया गया कि आया हम इस को एडमिट कर सकते हैं या नहीं । आप को चाहिये था, जैसा यहां रोज होता है, कि आप मेरे पास आ जाते, मैं फाइल को निकलवा लेता और आप को दलील भी देता कि क्यों उसको नामंजूर किया गया है, लेकिन इसके बजाय यहां पर आकर कहने से तो कुछ नहीं बनता ।

श्री ओंकार लाल बैरवा : रोज विस्फोट होते हैं, उनकी सूचना हाउस को मिलती है, लेकिन एक इतने बड़ नेता के घर में विस्फोट हुआ, उसकी जांच भी न करना कहां तक उचित है ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, एक मेरा निवेदन भी सुन लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने दूसरों की बात नहीं सुनी तो आप की कैसे सुन सकता हूं ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं आप की सुनता रहा हूं, आप मेरी सुन लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये ।

श्री रामेश्वरानन्द : पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं सुनूंगा । मेरी सुन लीजिये । जब मैं खड़ा हुआ हूं तब आप

नहीं बोल सकते । अगर किसी मेम्बर को शिकायत है तो वह मेरे पास आ सकते हैं । मैं उसे फिर खोलने के लिये तैयार हूं । वह मुझ समझा दें कि हम किस तरह से उसे पार्लियामेंट के अन्दर ले सकते हैं । अब भी मुझे एतराज नहीं है । बाकी रहा इजाजत का सवाल तो इस बारे में मैंने सुबह भी मिनिस्टर फार पार्लियामेंटरी अफअर्स से कहा है और वही पार्लियामेंट के सामने दोहराना चाहता हूं कि पहले बनर्जी साहब ने भी यह सवाल उठाया था कि जब कालिंग अटेंशन नोटिस आती है तो उसमें मेम्बरों को यह यकीन होता है कि वह बहुत अर्जेन्ट बात होती है । मगर जब मैं फैक्ट्स के लिये मिनिस्टर के पास भेजता हूं तो बाज दफे तीन तीन, चार चार और पांच पांच दिन लग जाते हैं और जवाब नहीं आता है । इस पर मेम्बर साहबान एतराज करते हैं । मैं उसका इन्तजार करता रहता हू. और काम इकट्ठा होता रहता है । में गवर्नमेंट से दर्ख्वास्त करूंगा कि जो कालिंग अटेंशन नोटिस होती है, चूंकि उसमें अर्जेंसी होती है इसलिए उसका जवाब आने में चौबीस घंटे से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिये । वह मेरे पास आ जाये ताकि मैं मैम्बर साहबान को जवाब दे सकूं । मेम्बर लोग मुझ पर नुक्ताचीनी करते हैं और मुझे जवाब मिनिस्ट्री से नहीं मिलता ।

श्री ओंकार लाल बैरवा : आज तक मुझे विश्वास होता रहा कि विचार किया जा रहा है और वह हाउस में आयेगा ।

संचार तथा संसद् कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : जैसा आपने फरमाया उसके बारे में मैंने कई मिनिस्टरों से बात की । एक आध मिनिस्ट्री का चार्ज मेरे पास भी है । वे यह जरूर कहते हैं कि कभी कभी कालिंग अटेंशन नोटिस की बातें ऐसी होती हैं कि फैक्ट्स इकट्ठा करने में ज्यादा वक्त लग जाता है । वह डिपार्टमेंट में जाता है । लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी तरफ से कोशिश की जा रही है कि जितनी कम से कम देर लग सके वह लगाई जाये । जितनी जल्दी हो सके हम इसकी कोशिश करते हैं । लेकिन यह मुश्किल हो सकती है कि हर केस में चौबीस घंटों के अन्दर जवाब आ जाये । कभी कभी आप को कुछ ज्यादा वक्त भी देना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : हर एक को जो उसकी जिम्मेदारी है उसे सम्भालना है । मैं मशकूर हूं मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सकेगा वह जवाब भजेंगे । लेकिन मैं उनके सामने यह बात रख देना चाहता हूं कि अगर वह समझें कि प्राइमा फसी केस है, तो मिनिस्टर साहब वही जवाब दे दें कि मुझे इन्फार्मेशन नहीं मिली और मैं जवाब अभी नहीं दे सकता, क्योंकि इस सिलसिले में मेरी बाबत गलतफहमी होती है कि शायद मैं गफलत कर रहा हूं । मिनिस्टर साहब जवाब दे दें कि इन्फार्मेशन मैंने मांगी थी लेकिन पहुंची नहीं है इसलिये मैं उसे अभी नहीं दे सकता ।

Shri Ranga (Chittoor): Sir, I am very glad that you have been good enough to make these remarks and give this advice to the Government. I also sincerely hope, now that the hon. Prime Minister happens to be here in his seat, that he would take due note of legitimate sense of dis-satisfaction that prevails in the benches here at the, if I may use the word, cavalier manner in which these calling attention notices are being treated and I sincerely hope that the intention of the framers of these Rules would be kept in view and will not be frustrated by the kind of procedure that they have been following in the various Ministries in order to justify the delay that is being caused.

अध्यक्ष महोदय : अब श्री कछवाय क्या कहना चाहते हैं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : यह नोटिस 18 तारीख को दिया गया था । हमें

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

सूचना मिली कि अभी विचाराधीन है। उसके बाद हमने फिर 21 तारीख को पूछा तो कहा गया कि यह नोटिस मंजूर हो गया है और वह सोमवार या मंगलवार को आयेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वजह है कि अब इसे अस्वीकर कर दिया गया है। पहले हम को सूचना मिली कि मंजूर हो गया है और सोमवार या मंगलवार को आयेगा लेकिन अब सूचना मिलती है कि वह नामंजूर कर दिया गया, यह क्या रहस्य है।

श्री ओंकार लाल बेरवा: हमें मिलने का टाइम नहीं दिया गया। टाइम मिलता तो मैं आता, लेकिन यहां पर तो विश्वास दिलाया गया था कि यह मंजूर हो गया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इत्तिला मिली है कि यह नहीं कहा गया था कि मंजूर हो गया है, यह कहा गया था कि विचाराधीन है, आप फाइल को देख लें।

श्री रामेश्वरानन्द : मेरा निवेदन आ नम्रता से सुन लें।

अध्यक्ष महोदय : नम्रता से सुनने के ये क्या कुर्सी से नीचे आ जाऊं।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं बड़ी नम्रता से कह रहा हूं कि आप मेरा निवेदन सुन लें। मैं जितने प्रश्न देता हूं या जो भी चीज देता हूं वह स्वीकार नहीं होती। इस बारे मैंने जो प्रश्न किया वह मुझे लौटा दिया गया। कभी कहते हैं कि 41 वीं धारा के आधार पर और कभी कुछ। मैंने एक प्रश्न किया था कि क्या भारतीय रेल के कुछ डब्बे खो गये हैं, यदि हां तो कितने। पहले लिख दिया कि इसके लिये आप का प्रश्न स्वीकार नहीं किया गया। मैंने पूछा कि उसका कारण क्या है, उस पर मेरे पास लिख कर आया कि जो आप का बिना तारीख का पत्र था उसके सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करने का आदेश मिला है कि आप यह बतलाने की कृपा करें कि कहां से और कौन से रेलवे के डब्बे चोरी हुए हैं। अब अगर मुझे पता होता तो मैं सवाल ही क्यों पूछता।

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी, मैं अब बहुत नम्रता से आप से कहता हूं कि जब आप को पता ही नहीं कि डब्ब खोये भी हैं या नहीं तो यों ही दौड़ते फिरते हैं इस पर सवाल करने को।

श्री रामेश्वरानन्द : जब उसका पता नहीं तभी तो पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : आप को इतना भी पता नहीं तो यों ही सवाल कर दिया। कल आप कहेंगे कि हवाई जहाज खो गया, अब सरकार यह बतलाये कि आया वह खोया है या नहीं। श्री बनर्जी।

श्री रामेश्वरानन्द : मुझे यह पता है कि डब्बे खो गए हैं, किस तारीख को और कितने खोए गए हैं यह पता नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि डब्ब खोए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगर माननीय सदस्य इस तरह से चलेंगे तो कोई फायदा नहीं, न इस तरह एक एक सवाल का जवाब मुझे याद रह सकता है, मेरी याददाश्त ऐसी मजबूत नहीं है कि हर सवाल के बारे में फौरन तफसील से इत्तिला दे सकूं। अगर किसी को कुछ कहना है तो मेरे पास मेरे कमरे में आकर कह सकता है।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं आपके कमरे में जाकर भी शिकायत कर चुका हूं कि हमारी बात सुनी नहीं जाती। मुझे यह कहते दुःख होता है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे कमरे में जाने से भी आप को रिलीफ नहीं मिलता तो फिर और कोई रास्ता अख्तियार कर लीजिए।

श्री रामेश्वरानन्द : अगर आप चाहेंगे तो वह भी किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : आप की मर्जी है, मैंने तो आपको कभी रोका नहीं ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I do not challenge your ruling on this Calling Attention Notice. But I was surprised at this: there were two Calling Attention Notices and . . .

Mr. Speaker: I would not discuss any Calling Attention Notice.

Shri S. M. Banerjee: I am speaking on the Calling Attention Notice which is put on the Order Paper. It reads thus:

> "....to call the attention of the Minister of Home Affairs to the recent statements of the leaders of Plebiscite Front in Jammu and Kashmir giving out threats of agitation against the Government of India."

Now, you remember that we read the statement of the Prime Minister of Jammu and Kashmir, Mr. Sadiq, about how the Pakistanis have crossed over and are indulging in sabotage and fomenting trouble. I gave a Calling Attention Notice about the same subject practically. That calling Attention Notice has been disallowed whereas this has been allowed.

Mr. Speaker: It was different. He should have this much patience at least to wait. I would call when I take up the Calling Attention Notice, I would call that also and I will decide.

Shri S. M. Banerjee: Both should have been clubbed together. That is my submission.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, यदि इस चर्चा का आपके मस्तिष्क पर कोई विशेष प्रभाव न हो तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक एडजर्नमेंट मोशन श्री जयप्रकाश नारायण के वक्तव्य के सम्बन्ध में मैंने और श्री बनर्जी ने दिया है। श्री जयप्रकाश नारायण ने कांस्टीट्यूशन को एक ओर रख कर नागालैण्ड को एक स्वतन्त्र इकाई कहा है । और भारत की पार्लियामेंट के लिए भी उन्होंने कहा है कि भारत की पार्लियामेंट असहिष्णु हो गयी है । इस पर प्रिविलेज मोशन की स्थिति भी उपस्थित हो सकती है । एसी स्थिति में इस बात के ऊपर अवश्य चर्चा की जाए। एसी ही वक्तव्य वह अक्साई चिन के बारे में भी दे चुके हैं । मेरा निवेदन है कि अगर एक आदमी इस तरह से देश के सम्बन्ध में कहे तो उसके विरुद्ध डी० आई० आर० का उपयोग किया जा सकता है. . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर । मैंने आपसे कहा कि इस तरह से एडजर्नमेंट मोशन्स और काल अटेंशन मोशन्स पर बहस नहीं करनी चाहिए । मगर शास्त्री जी एक दाना और अक्लमन्द पार्लियामेंटेरियन होते हुए भी इसका एक ग्रीवांस बना रहे हैं । अगर जयप्रकाश नारायण ने एक बात कही तो वह यहां एडजर्नमेंट मोशन का विषय कैसे बन सकती है ।

Shri S. M. Banerjee: It has serious implications. He should be arrested immediately.

Mr. Speaker: Order, order. Whether he should be arrested or not is not my concern.

Shri S. M. Banerjee: He may be remanded. (*Interruption*).

Shri Ranga: These are the champions of the freedom of speech!

Shri S. M. Banerjee: He has ridiculed the entire Lok Sabha, and has supported the contention of Michael Scott who has asked for a probe into the matter.

अध्यक्ष महोदय : अगर इस तरह करना है तो कुछ देर के लिए मैं कुर्सी पर बैठ जाऊं या कुर्सी छोड़ कर चला जाऊं और हर एक

[अध्यक्ष महोदय]

आदमी अपनी बात कह ले । मैंने शास्त्री जी को बुलाया था कि अपना काल अटेंशन नोटिस पढ़ें पर वह एडजर्नमेंट मोशन ले आए । अगर किसी तरीके से भी कोई प्राइवेट आदमी...

Whoever he might be, if he makes a statement, can that be a subject of an Adjournment Motion to the effect that the Government has failed in this? Could the Government shut his mouth before he could speak?

An hon. Member: He is a member of the mission.

Shri S. M. Banerjee: He has supported Michael Scott who has asked for a probe in the matter.

12.16 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

STATEMENTS BY PLEBICITE FRONT LEADERS

अध्यक्ष महोदय : आप अब अपने काल अटेंशन नोटिस को पढ़िए ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : (बिजनौर) : मैं उसको पढ़ता हूं लेकिन वह शान्ति मिशन के सदस्य हैं जो भारत सरकार की ओर से बातचीत कर रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उससे कोई मतलब नहीं है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह-कार्य मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें ।

जम्मू और काश्मीर में जनमत संग्रह मोर्चा (प्लेबिसिट फ्रण्ट) के नेताओं द्वारा हाल में दिए गए वे वक्तव्य, जिनमें आन्दोलन करने की भारत सरकार को धमकियां दी गयी हैं ।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हाथी) : सरकार ने 15 नवम्बर, 1964 को सोपोर में हुए जनमत संग्रह मोर्चे के वार्षिक अधिवेशन में उस मोर्चे के कुल नेताओं के भाषणों के बारे में समाचार-पत्रों के विवरण देखे हैं । इन विवरणों के अनुसार इन भाषणों में से कुछ निस्सन्देह आपत्तिजनक हैं । काश्मीर के बारे में कानूनी व संवैधानिक स्थिति और सरकार का दृष्टिकोण सब को अच्छी तरह मालूम है और उनमें किसी परिवर्तन करने का कोई प्रश्न नहीं है । यदि शान्ति भंग या अव्यवस्था का कोई अन्देशा हुआ तो आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

2. कानून और व्यवस्था के प्रश्न का सम्बन्ध मुख्यत: राज्य सरकार से है । जम्मू और काश्मीर के प्रधान मन्त्री ने हाल ही में एक वक्तव्य दिया है जिसमें उन्होंने इन तत्वों को चेतावनी दी है कि यदि कोई एसा संघर्ष जो कानून औरव्यवस्था का उल्लंघन करता है, शुरू किया गया तो राज्य सरकार उसके साथ बहुत दृढ़ता से व्यवहार करेगी । राज्य सरकार वहां की स्थिति के बारे में सतर्क है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जनमत संग्रह मोर्चे के नेता शेख मुहम्मद अब्दुल्ला और मिर्जा अफजल बेग ने, जिन्होंने यह कानफरेंस की, उनकी ओर से भारत सरकार विरोधी वक्तव्य आ रहे हैं, पर गृह मन्त्री जी के बयान में उनके लिए केवल "कुछ बातें" शब्द प्रयोग किए गए हैं । यह देख कर मुझे बहुत दु:ख हुआ है । वे खुल्लम खुल्ला भारत सरकार को चुनौती दे रहे हैं और सरकार के खिलाफ बगावत की धमकियां दे रहे हैं । इतना ही नहीं कल परसों बारामूला में इस प्रकार की घटना घटी कि उन्हीं लोगों की ओर से मुख्य मन्त्री के ऊपर पत्थर फेंके गए और वे बार बार भारत सरकार को चुनौती दे रहे हैं । इतनी भयंकर घटनाओं के बाद भी उनके लिए "कुछ देता" शब्द प्रयोग किए जाते हैं । मैं जानना